न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती बिन्दु बाला राजावत(आर.ए.एस.)

पत्रावली संख्याः– 12/2025
किस्म :– अपील
दायर दिनांक : 18.08.2025
निर्णय दिनांक 18.12.2025

अनवान

1. अलानुर मोहम्मद पिता जमाल जाति मुसलमान निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद

– **अपीलान्ट**

बनाम

1. ग्राम पंचायत रेलमगरा जरिये संरपच ग्राम पंचायत रेलमगरा पंचायत समिति रेलमगरा
2. नजमा बानू पुत्री अलानुर जी जाति मुसलमान निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा
3. परवीन बानू पुत्री अलानुर जाति मुसलमान निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
4. बरकत बानू पत्नि स्व अलानुर जी जाति मुसलमान निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा
5. शमीम बेगम पुत्री अलानुर जाति मुसलमान निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा
6. शाइना बानू पुत्री अलानुर जाति मुसलमान निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा
7. हीना बेगम पुत्री अलानुर जाति मुसलमान निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद।

अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 6059 दिनांक 25.06.2024

उपस्थितिः–
अपीलान्ट की ओर से :– अधिवक्ता लादुलाल जाट
रेस्पोडेन्ट्स की ओर सेः– अधिवक्ता मुरलीधर दशोरा

निर्णय

अपीलार्थी ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम रेलमगरा पटवार हल्का रेलमगरा तहसील क्षेत्र रेलमगरा में अपीलान्ट की कृषि भूमियां स्थित है.जिसका नामान्तकरण संख्या 6059 दिनांक 25.06.2024 को ग्राम पंचायत रेलमगरा द्वारा पारित आदेश विधि, न्याय, नियम एवं वाकियाती तथ्यों के विपरित होने से निरस्त होने योग्य है। अपीलान्ट की ग्राम रेलमगरा में निम्न कृषि भूमियां स्थित हैः– आराजी नम्बर 1026 रकबा 1.1817 कुल किता 01 कुल रकबा 1.1817 हैक्टेयर। अपील की कलम सख्या 2 में वर्णित भुमिया अपीलाण्ट अपीलाण्ट अलानुर मोहम्मद पिता जमाल के खातेदारी की होकर वादग्रस्त भुमियो में 1/3 हिस्सा है वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित भुमियो में रेस्पोडेण्ट 2 से लगायत 7 के पिता अलानुर पिता जमाल का कोई हिस्सा नही था। अपीलाण्ट अलानुर मोहम्मद पिता जमाल है जो जिवित है जो अकेला था रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से लगायत 7 के पिता अलानुर पिता जमाल दौ भाई थे एक तो गुल मोहम्मद एंव दुसरा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से लगायत 7 के पिता अलानुर पिता जमाल थे जिनकी मृत्यु हुई अर्थात् अलानुर पिता जमाल एंव अलानुर पिता जमाल दोनो ही अलग–अलग व्यक्ति है। रेस्पोडेण्ट 2 से लगायत 7 के पिता अलानुर पिता जमाल जाति मुसलमान की मृत्यु होने के उपरान्त वादग्रंस्त भुमियो

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

का विरासत के आधार पर रेस्पोडेण्ट सख्या 1 के द्वारा दिनांक 25.06.2024 को नामान्तकरण सख्यां 6059 निर्णित किया गया जिसमे मुझ अपीलाण्ट की कृर्षि भुमियां जो अपील की कलम सख्यां 2 में वर्णित है जिसका नामान्तकरण गलत तरिके से रेस्पोडेण्ट 2 से लगायत 7 के नाम पर निर्णित कर दी गयी अर्थात मुझ अपीलाण्ट की भुमियां अलानुर पिता जमाल के वारिसानो के नाम पर निर्णित कर दी जबकि में अपीलाण्ट जिवित हुँ। अधिनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा अलानुर पिता जमाल का विरासतीय नामान्तकरण बाबत् कार्यवाही करते समय पंचायत को पुर्ण जानकारी थी की अलानुर मोहम्मद पिता जमाल एंव अलानुर पिता जमाल अलग–अलग व्यक्ति थे एंव में अपीलाण्ट (अलानुर मोहम्मद पिता जमाल) जिवित हुँ उसके पश्चात् भी तत्कालिन संरपच व पटवारी हल्का द्वारा जानबुझकर द्वेषतावश मुझ अपीलान्ट की कृर्षि भुमियो का नामान्तकरण रेस्पोडेण्ट 2 से लगायत 7 के नाम पर मुझ अपीलाण्ट की बिना जानकारी के दिनांक 25.06.2024 को नामान्तकरण संख्या 6059 रेस्पोडेण्ट सख्यां 2 से लगायत 7 के नाम पर निर्णित किया जो वैधानिक प्रावधानो का स्पष्ट रुप से उल्लंघन होने से अधिनस्थ ग्राम पंचायत रेलमगरा द्वारा पारित नामान्तकरण आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्त ग्राम पंचायत रेलमगरा द्वारा अलानुर पिता जमाल के विरासतीय नामान्तरकरण में अपीलाण्ट की भुमियो का मन मकसूद तरिके से नामान्तकरण आदेश दिनांक 25.06.2024 को मुझ अपीलाण्ट की बिना जानकारी में मुझ अपीलाण्ट का नाम हटाकर रेस्पोडेण्ट सख्यां 2 से लगायत 7 के नाम पर नामान्तकरण निर्णित कर दिया जो विधि एव तथ्यों के विपरित होने से निरस्त होने योग्य है। अधिनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा अलानुर पिता जमाल विरासत की कार्यवाही के दौरान यह स्पष्ट जानकारी थी की अलानुर मोहम्मद पिता जमाल व ज अलानुर पिता जमाल दोनो अलग–अलग व्यक्ति है एवं में अपीलाण्ट अलानुर मोहम्मद पिता जमाल जिवित हूँ उसके उपरान्त भी रेस्पोडेण्ट संख्या 2 से लगायत 7 को समुचित लाभ पहुंचाने के उदेश्य से मुझ अपीलाण्ट की कृर्षि भुमिया में मुझ अपीलाण्ट का नाम हटाकर रेस्पोडेण्ट सख्यां 2 से लगायत 7 के नाम पर इन्तकाल खोल दिया जो विधि एंव तथ्यों के विपरित होने से निरस्त योग्य है। अपीलान्ट जिवित होकर वादग्रस्त भुमियों पर निरन्तर काबिज होकर वर्तमान में भी काश्त कर रहा हूँ अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेण्ट सख्यां 2 से लगायत 7 के नाम पर गलत तरिके से नामान्तकरण निर्णित कर देने से रेस्पोडेण्ट सख्यां 2 से लगायत 7 अन्य व्यक्तियो को वादग्रस्त भुमिया अन्तरित करने पर उतारु है अगर रेस्पोडेण्ट सख्यां 2 से लगायत 7 के द्वारा अन्य व्यक्तियो को अन्तरित करने पर सफल हो गया तो अपीलान्ट अपना वैघ्य हक, अधिकार से वचिंत हो जायेगा ऐसी स्थिति में उक्त आदेश को निरस्त किया जाना न्याय संगत है अपीलान्ट के नाम पर नामान्तकरण स्वीकृत किये जाने का आदेश पारित किया जाना न्यायसंगत है इस हेतु यह अपील प्रस्तुत है। अपीलाण्ट का अपील प्रस्तुत करने का हेतुक दिनांक 01.08.2025 को अपीलान्ट को रेस्पोडेण्ट सख्यां 2 से लगायत 7 के द्वारा वादग्रस्त भूमियो को अन्य व्यक्ति को विक्रय करने की बात सुनी एवं अपीलान्ट ने वादग्रस्त भुमियो की नकल व नामान्तकरण दिनांक 06.08.2025 को ईमित्र से निकवायी तब उक्त गलत नामान्तकरण की प्रथम बार जानकारी अपीलान्ट को होने पर उक्त अपील जानकारी की दिंनाक से अन्दर अवधि प्रस्तुत है किसी कानुनी आपत्ति वस अपील के साथ ही धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः श्री प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट विरुद्व रेस्पोरेडेन्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ ग्राम पंचायत रेलमगरा द्वारा दिनांक 25.06.2024 को नामान्तकरण संख्या 6059 को अपास्त फरमाया जाकर अपील की कलम सख्यां 2 में वर्णित वादग्रस्त भुमियो में अपीलान्ट नाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 02 से लगायत 07 की ओर से अधिवक्ता मुरलीधर दशोरा ने वकालत पत्र मय स्वीकारात्मक जवाब पेश किया जो शामिल फाईल किया गया।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज, रेस्पोडेण्ट का सहमति का जवाब व बहस में दिये गये उज़रात, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं नामान्तरकरण संख्या 6059 दिनांक 25.06.2024 का अवलोकन करने से ताईद है ग्राम पंचायत रेलमगरा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 6059 दिनांक 25.06.2024 का रेस्पोडेण्ट्स के वारिसान के नाम पर दर्ज हो गई है जबकि अपीलाण्ट जीवित है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार किए जाने योग्य साबित है।

उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार कि जाकर राजस्व ग्रांम रेलमगरा पटवार हल्का रेलमगरा तहसील रेलमगरा के नामान्तकरण संख्या 6059 दिनांक 25.06.2024 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार रेलमगरा को प्रतिप्रेशित कर निर्देशित किया जाता है कि पक्षकारान को सुन नये सिरे से नामान्तकरण की कार्यवाही करे। तद्नुसार पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2025 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

(बिन्दु बाला राजावत RAS)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा
जिला राजसमंद

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा